UPRB010064722025

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश , रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी– कुशलपाल,

(एच 0 जे0 एस)

किमिनल अपील संख्या–62/2025

1. श्रीमती मंजू, आयु लगभग 39 वर्ष, पत्नी राघवेंद्र उर्फ शिव बहादुर(पुत्री भागीरथ यादव), निवासिनी पूरे घूरी, मजरे बिनोहरा, थाना भदोखर, जिला रायबरेली।

2. कुमारी सलोनी आयु 17 वर्ष (अविवाहित व अल्प वयस्क), पुत्री राघवेंद्र उर्फ शिव बहादुर, संरक्षिका माता(अपीलार्थिनी संख्या 1 उपरोक्त), निवासिनी पूरे घूरी, मजरे बिनोहरा, थाना भदोखर, जिला रायबरेली।

.....अपीलार्थी/ प्रार्थिनीगण।

बनाम

1. राघवेंद्र उर्फ शिव बहादुर, आयु 41 वर्ष, पुत्र बचोले
2. धर्मेंद्र कुमार उर्फ लाल, आयु 36 वर्ष, पुत्र बचोले
3. शशि प्रभा, आयु 33 वर्ष, पुत्री बचोले
4. सुमन, आयु 66 वर्ष, पत्नी बचोले
5 बचोले, आयु 70 वर्ष, पुत्र रामनाथ

   समस्त निवासीगण पूरे भवन, मजरे मनहेरू, थाना भदोखर,, जिला रायबरेली।
6. प्रह्लाद, आयु 61 वर्ष पुत्र राम आसरे
7. धुन्ना उर्फ रामबहादुर, आयु 56 वर्ष, पुत्र रामआसरे

   निवासीगण ग्राम पूरे भक्तन, मजरे लोधवारी, थाना डीह, जिला रायबरेली।
8. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता

.....रेस्पोंडेंट/प्रत्यर्थीगण

धारा–29 घरेलू हिंसा से महिलाओं
का संरक्षण अधिनियम 2005
<u>थाना– भदोखर, जिला रायबरेली।</u>

<u>निर्णय</u>

उपरोक्त दाण्डिक अपील, अपीलार्थी द्वारा विद्वान FTC–II, जू०डि० रायबरेली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.08.2025 परिवाद वाद संख्या 528/2021, मंजू देवी व अन्य बनाम राघवेंद्र सिंह उर्फ शिव बहादुर व अन्य, अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, थाना भदोखर, जिला रायबरेली से क्षुब्ध होकर दाखिल किया गया है।

2. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण में अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिये गये हैं कि अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 26/8/2025 विधि विधान के प्रतिकूल, एकांगी, एकपक्षीय व दुराग्रह पूर्ण है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय का प्रश्नगत दिनांक 26/8/2025 आदेश 12 डीवी एक्ट की उपधारा 5 के उद्देश्य, नीयत व मंशा के सर्वथा प्रतिकूल है जहां पर पीड़िता को त्वरित, सार्थक, प्रभावी व निर्धारित समय सीमा के अंदर अधिनियम के 8 अंतर्गत अनुमन्य अनुतोष उपलब्ध कराने के लिए धारा 12 डीवी एक्ट के प्रत्येक आवेदन का प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटारा करने की अपेक्षा की गई है। आदेश 26/8/2025 उपरोक्त व्यवस्था के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है।अवर न्यायालय प्रकरण की सुनवाई की प्रक्रिया में विषय के महत्त्व व गंभीरता को समझने में नितांत असफल रहा है तथा इसकी कार्यवाही मात्र सुनवाई की खानापूरी करने की औपचारिकता तक सीमित रही/रह गई है तथा वह यह समझने में सर्वथा असफल रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम हिंसा, क्रूरता, उत्पीड़न, भेदभावपूर्ण व्यवहार, जो "सहभागी गृहस्थ गृह" कुटुम्ब में रह रही स्त्री को सहना पड़ता है, के निवारण, निराकरण व उस पर नियंत्रण, स्त्री कल्याण व उत्थान के लिये त्वरित गति से कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिनियमित किया गया है तथा यह अधिनियम पीड़ित स्त्री के अधिकारों, सुरक्षा, सम्मान व जीवन को सुरक्षित व संरक्षित करने के लिये निषेधात्मक, उपचारी व निरोधात्मक उपायों से निराकरण का प्रयास करता है। घरेलू हिंसा से पीड़ित स्त्री का आर्थिक व सामाजिक कल्याण हो तथा उसके हित, अधिकार, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्त्री स्वाभिमान व सुरक्षा बनी रहे व संरक्षित रहे, इसी भावना व उद्देश्य से यह घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था। जिसमें त्वरित कार्यवाही व न्याय की भावना

अपेक्षित है। विगत लगभग एक दशक से प्रस्तुत प्रकरण में परिवादिनी / पीड़िता को न्याय मिलना तो दूर बल्कि न्यायालय की उदासीनता, संवेदनशून्यता, मात्र औपचारिकता तक सीमित मंथर गति से चल रही कार्यवाही से न्याय की संभावना ही समाप्त नहीं हुई है अपितु प्रत्यार्थीगण को भी अपीलार्थी / प्रार्थीगण के प्रति प्रस्तुत प्रकरण की आड़ में और भी अधिक उत्पीड़न के अवसर, कार्यवाही को विलंबित कर तथा निर्णय को अपनी सुविधानुसार अनन्त काल तक विलम्बित रख कर, समूची न्याय प्रक्रिया व व्यवस्था का उपहास बनाने का अवसर देती रही है। इन परिस्थितियों में आवश्यकता है कि प्रकरण का त्वरित अंतिम रूप से निस्तारण किया जाये, जिसमें अवर न्यायालय पूरी तरह से असफल रहा है। आदेश 26/8/2025 उपरोक्त अपेक्षाओं के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अवर न्यायालय अपने ही पारित आदेशों का सम्यक अनुपालन प्रत्यार्थी / रेस्पोंडेंट से करा पाने में अब तक पूर्ण रूप से असहाय, लाचार और विवश रहा है तथा इससे प्रत्यार्थी / रेस्पोंडेंट को न्यायिक आदेशों के उल्लंघन व अवमानना करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहा है, इस कारण आवश्यकता है कि प्रकरण का त्वरित निस्तारण हो तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का सम्यक अनुपालन हो। आदेश 26/8/2025 उपरोक्त संबंध में कोई संभावना नहीं जगाता है, अस्तु निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही प्रत्यार्थी / रेस्पोंडेंट के प्रति अनावश्यक रूप से अतिशय व उदार रही है जिसका लगातार दुरुपयोग प्रत्यार्थी / रेस्पोंडेंट द्वारा किये जाने पर भी अवर न्यायालय अपेक्षित, उचित व प्रभावी कर पाने में असफल रहा है। आदेश दिनांक 26/8/2025 उपरोक्त संभावना से परे है अस्तु निरस्त योग्य है। प्रत्यार्थी / रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अंतरिम निर्वाह भत्ते संबंधी अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 5/7/2019 का जानबूझकर अनुपालन अपेक्षानुसार नहीं किया है तथा उसके विरुद्ध एक बहुत बड़ी (एक लाख रुपये से भी अधिक) धनराशि बकाया अंतरिम निर्वाह भत्ते के रूप में अदायगी हेतु बाकी है, जिसे वह न्यायालय के बार–बार आदेश के बाद भी इरादतन देने से बचता रहा है। बिना उक्त धनराशि का सम्यक भुगतान सुनिश्चित कराये प्रकरण में कोई भी कार्यवाही न्यायसंगत नहीं है। दिनांक 26/8/2025 का उद्देश्य उपरोक्त संबंध में मौन है, अस्तु निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण के उपरोक्त संदर्भ में (बकाया अंतरिम निर्वाह भत्ता धनराशि की अदायगी की बाबत) दिये गये विभिन्न प्रार्थना पत्रों, विशेष कर प्रार्थना पत्र दिनांक 21/1/2025, 21/3/2025, 21/7/2025, 8/8/2025 व 26/8/2025 का निस्तारण किये वाद में अपीलार्थिनी से जिरह हेतु अग्रिम तारीख लगभग दो माह के अंतराल पर 24/10/2025 को नियत कर देना अनुचित व अन्याय पूर्ण है। यदि अपीलार्थिनी के

लंबित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में प्रत्यार्थी / रेस्पॉन्डेड का Defence Struck Off कर दिया गया तो वाद में अपीलार्थिनी व उसके साक्षियों से क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रश्न ही नहीं रह जायेगा। ऐसी स्थिति में आवश्यक व अपेक्षित है कि अपीलार्थिनी के उपरोक्त संदर्भित लंबित प्रार्थना पत्रों का स्पीकिंग ऑर्डर के साथ पहले अवर न्यायालय निस्तारण करे तदुपरांत आगे की कार्यवाही का निर्धारण करें। दिनांक 26/8/2025 का आदेश उपरोक्त संबंध में मौन है, जिस कारण निरस्त योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने क्रिमिनल अपील नंबर 730 ऑफ 2020 (रजनेश वर्सेस नेहा व अन्य में पारित निर्णय में 'Enforcement of orders of maintenance af देते हुए कहा है कि maintenance is not paid in a timely manner, it defeats the very object of the social welfare legislation Execution petitions usually remain pending for months. If not years, which completely nullifies the object of law" इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः अभिमत दिया है कि "Striking off the defence of the respondent is an order, which ought to be passed in the last resort, if the court find default to be wilful and contumacious particularly to a dependent unemployed wife and minor children. Contempt of proceedings for wilful disobedience may be initiated before the appropriate court"

प्रस्तुत प्रकरण में अवर न्यायालय द्वारा यह देखने और पाने के बाद भी, कि प्रत्यार्थी / रेस्पोंडेंट न्यायालय के निर्वाह भत्ते संबंधी अंतरिम आदेश का "Witful & Contumacious" उल्लंघन कर रहे हैं प्रत्यार्थी रेस्पोंडेंट से अपने ही आदेशों का सम्यक अनुपालन करा पाने में असफल रहा है। आवश्यकता व अपेक्षित है कि अवर न्यायालय विधि प्रदत्त अपनी शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग कर प्रत्यार्थी / रेस्पोंडेंट से आदेश दिनांक 5/7/2019 का सम्यक अनुपालन करा कर देय बकाया धनराशि का भुगतान अपीलार्थीगण को कराया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 26/8/2025 का आदेश उपरोक्त संबंध में मौन है, जिस कारण निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4296/2023 यशपाल जैन व सुशीला देवी में 20/10/2023 को पारित निर्णय में स्पीडी ट्रायल, सुनवाई व निस्तारण हेतु दी गई गाइडलाइंस के विपरीत जाकर बिना किसी औचित्य व कारण के प्रकरण में अवर न्यायालय द्वारा लगभग दो माह के बाद अगली तारीख नियत करने का दिनांक 26/8/2025 के आदेश का कोई औचित्य नहीं है और न यह न्याय संगत है, जिस कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थिनी / प्रार्थिनी पीड़िता प्रस्तुत

प्रकरण में त्वरित कार्यवाही व न्याय की पात्र व अधिकारी है तथा आदेश 26/8/2025 इस संभावना व अपेक्षा के प्रतिकूल है जिस कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उल्लेखनीय है की अपीलार्थीगण वर्ष 2009 से अब तक परित्यक्ता का अभिशप्त जीवन जीने को (दूसरों की दया व रहमो करम पर) बाध्य है, जिनके पास जीवन निर्वाह का कोई संसाधन नहीं है।। वहीं दूसरी ओर स्वयं प्रत्यर्थी / रेस्पोंडेंट द्वारा परिवार न्यायालय के समक्ष धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के वाद में यह भी स्वीकारोक्ति की गई है कि उसके पास 11–0–0 बीघा स्वअर्जित भूमि है (शपथ पत्र की प्रामाणिक छाया प्रति संलग्न संख्या 15 के रूप में संलग्न याचिका है)। उपरोक्त तथ्यों, कारणों व परिस्थितियों के प्रकाश में अपीलार्थिनी/ प्रार्थिनी पीड़िता इस प्रवर न्यायालय श्रीमान जी से याचना की गई है कि :–

i) अधीनस्थ अवर न्यायालय की वाद पत्रावली तलब कर आदेश दिनांक 26/8/2025 को निरस्त कर प्रार्थिनी अपीलार्थीगण की यह प्रस्तुत अपील याचिका स्वीकार कर अवर न्यायालय को निर्देश जारी करने की याचना की गई कि वह प्रार्थिनी / अपीलार्थिनी के इस अपील याचिका के बिंदु 10 में संदर्भित पूर्व प्रार्थनापत्रों दिनांक 21/3/2025, 21/7/2025 व 8/8/2025 व 26/8/2025 का समयबद्ध निस्तारण स्पीकिंग ऑर्डर के साथ करें।

ii) अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित करने की कृपा करें कि वह प्रतिपक्षी से आदेश दिनांक 5/7/2019 के अनुसार अंतरिम निर्वाह भत्ते की अब तक शेष बकाया संपूर्ण देय अद्यतन धनराशि का भुगतान एक निश्चित समय सीमा के भीतर कराया जाना सुनिश्चित करने की याचना की गई। अपीलार्थी / प्रार्थीगण के मूल आवेदन दिनांक 18/12/2014 डी.वी. एक्ट का अंतिम निस्तारण समयबद्ध रूप से अधीनस्थ अवर न्यायालय द्वारा किये जाने हेतु निर्देश जारी करने की याचना की गई है।

3. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से फेहरिस्त 6ख/1से छायाप्रति आदेश दिनांक 05.07.2019 पारित द्वारा अपर सिविल जज सी.डि. कोर्ट नं. 14, आदेश अपील संख्या 28/2019 पारित अपर सत्र न्यायालय पाक्सो दिनांकित 11.04.2023 की छायाप्रति, आपत्ति राघवेंद्र सिंह दिनांक 26.08.2025, आदेश दिनांकित 21.12.2024 पारित ACJ IInd सी.डि., आदेश दिनांकित 21.01.2025 पारित ACJ IInd सी.डि.,प्रार्थना पत्र मंजू देवी दिनांक 21.03.2025, न्यायालय ACJ IInd सी.डि. की पत्रावली पर अंकित टिप्पणी दिनांक 30.04.2025, आदेश दिनांकित 27.05.2025 पारित ACJ IInd सी.डि., छायाप्रति हिबानामा दिनांक 31.05.2025 द्वारा राघवेंद्र सिंह, प्रार्थनापत्र मंजू देवी दिनांक 21.07.2025, प्रार्थनापत्र मंजू देवी दिनांक 08.08.2025

आदेश दिनांक 08.08.2025 पारित ACJ IInd सी.डि., प्रार्थनापत्र मंजू देवी दिनांक 26.08.2025, आदेश दिनांक 26.08.2025 की प्रामाणिक प्रतिलिपि पारित द्वारा ACJ IInd सी.डि., दाखिल किया गया है।

4. विपक्षी की ओर से आपत्ति इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत की गई कि धारा–1 में वादिनी/आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि अभी तक अंतरिम गुजारा भत्ता नहीं दिया गया जबकि प्रत्यर्थी द्वारा निम्न तारीखों पर पर पैसों की अदायगी की है। दिनांक 04.11.2022 को 1500.00 रूपये, 2000.00 रूपये, दिनांक 13.02.2023 को 1500.00 रूपये, दिनांक 13.04.2023 को 1500.00 रूपये, दिनांक 21.07.2023 को 2000 रूपये, दिनांक 18.11.2023 को 2500.00 रूपये, दिनांक 05.01.2024 को 2000.00 रूपये दिनांक 02–02–2024 को 2000.00 रूपये, दिनांक 03.04/2024 को 1000.00 रूपये, दिनांक 18.05.2024 को 2000.00 रूपये, दिनांक 02.08.2024 को 2000.00 रूपये, दिनांक 07.09.2024 को 1000.00 रूपये, दिनांक 25.09.2024 को 2000.00 रूपये, दिनांक 26.11.2024 को 2000.00 रूपये, दिनांक 21.12.2024 को 2000.00 रूपये, दिनांक 21.03.2025 को 5000.00 रूपये, दिनांक 03.04.2025 को 5000.00 रूपये दिनांक 06.05.2025 को 5000.00 रूपये दे रहा है और भविष्य में देता रहेगा। प्रत्यर्थी के परिजनों द्वारा आवेदिका मंजू के नाम 10 बिस्वा गाटा संख्या–248 भूमि आवेदिका के नाम अंकित कराई जिसमें प्रत्यर्थी काबिज व दखील है – जो लगभग वर्ष 2009 में लिखवायी गयी। आवेदिका प्रार्थी को व उसके परिजनों को परेशान करने के लिए फर्जी तरीके से मुकदमा पंजीकृत कराकर परेशान करना चाहती है। आवेदिका का पिता जल निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी है तथा इसके पिता के नाम खाद बीज की दुकान भी है जो अपने पिता के साथ रहकर दुकान में हाथ बटाती है तथा प्रार्थिनी बी०ए० पास है। आवेदिका हर तरह से सक्षम है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलार्थी द्वारा यह बहस की गई कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि की मंशा के विपरीत है। अवर न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी द्वारा दिये गए प्रार्थनापत्र का निस्तारण नहीं किया गया अपितु उसके निस्तारण हेतु दो माह का समय लिया गया जो विधि की मंशा के विपरीत है। अवर न्यायालय के समक्ष लंबित प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 12 DV एक्ट का निस्तारण अभी तक अवर न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सका है एवं अवर न्यायालय द्वारा दिनांक

05.07.2019 को पारित आदेश का अनुपालन भी अवर न्यायालय द्वारा विपक्षी से नहीं कराया जा सका है। उक्त आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु एवं विपक्षी के बचाव के अधिकार को समाप्त किये जाने हेतु अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र का निस्तारण नहीं किया। अपीलार्थिनी से जिरह हेतु दो माह का समय नियत कर दिया जाना विधि की मंशा के विपरीत है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाए।

7. प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी अनुपस्थित है, जबकि उसपर नोटिस का तामीला पर्याप्त उपधारित किया जा चुका है।

8. अपीलार्थी द्वारा की गई बहस के आलोक में अवर न्यायालय की पत्रावली का सम्यक विश्लेषण किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2025 को अपीलार्थी/ प्रार्थिनी मंजू देवी द्वारा दिये गए प्रार्थनापत्र, जिसके माध्यम से उसके द्वारा पूर्व में दिये गए प्रार्थनापत्र दिनांक 21.03.2025, 08.08.2025 और 21.07.2025 को निस्तारित किये जाने की याचना की गई थी, पर विपक्षी की आपत्ति आमंत्रित करते हुए दिनांक 24.10.2025 को आपत्ति निस्तारण एवं वादिनी साक्षी संख्या एक के जिरह हेतु नियत की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील योजित की गई है।

9. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि दिनांक 05.07.2019 को न्यायायलय द्वारा प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 23 DV Act स्वीकार करते हुए विपक्षी संख्या एक को दौरान वाद प्रत्येक माह की दस तारीख तक प्रार्थिनी को दो हजार रुपए अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने का आदेश किया गया। किंतु उक्त धनराशि विपक्षी द्वारा अदा न किये जाने के कारण प्रार्थिनी द्वारा समय समय पर अंतरिम भरण पोषण की धनराशि दिलाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता रहा है। दिनांक 27.05.2025 को न्यायालय द्वारा अंतरिम निर्वाह भत्ता की वसूली सुनिश्चित करने हेतु धारा 421 दं.प्र.सं. की कार्यवाही अमल में लायी गई एवं कुर्की वारंट जारी किया गया। तदुपरांत पुनः दिनांक 26.08.2025 को प्रार्थिया द्वारा उसके द्वारा पूर्व में दिये गए प्रार्थनापत्र दिनांकित 21.03.2025, 08.08.2025 और 21.07.2025, जो विपक्षी के बचाव समाप्त किये जाने से संबंधित थे, के निस्तारण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसके निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा विपक्षी से आपत्ति निस्तारित करते हुए आपत्ति निस्तारण हेतु तिथि नियत की गई। पत्रावली के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र 21.03.2025 व दिनांक 21.07.2025 पर की गई आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई थी, इस कारण अवर न्यायालय द्वारा उक्त

प्रार्थनापत्र पर आपत्ति आमंत्रित की गई। न्यायालय के मत में किसी भी प्रार्थनापत्र का निस्तारण उभयपक्षों को सुनकर गुण दोष के आधार पर किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है। जहां तक प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु दो माह का समय नियत किये जाने का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि संबंधित अवर न्यायालय में वर्तमान में जनपद रायबरेली के घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों के सुनवाई का क्षेत्राधिकार है एवं लंबित वादों की संख्या भी अधिक है, तथापि न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह विधि की मंशा एवं विधि के प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनापत्र का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करे। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी / अपीलार्थी के प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया अपितु उसके निस्तारण हेतु अग्रिम तिथि नियत की गई है।

यह दर्शित होता है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिअनुसार पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

आदेश

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या– 62/2025 श्रीमती मंजू व अन्य बनाम राघवेंद्र उर्फ शिव बहादुर आदि **निरस्त** की जाती है। अवर न्यायालय को मूल पत्रावली इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वह वाद का निस्तारण विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विधि की मंशा के अनुरूप करना सुनिश्चित करे।

दिनांक–16.03.2026

(कुशलपाल)
UPID 6165
प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश,
रायबरेली।

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–16.03.2026

(कुशलपाल)
UPID 6165
प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश,
रायबरेली।

Vishnu Prakash Srivastava

(Stenographer)